रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2000.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 4 अक्तूबर, 2000/12 आश्विन, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

पशु पालन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 सितम्बर, 2000

संख्या ए एच वाई0-ए0(3)-9/99.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या ए एच वाई0-ए0(3)-6/94, तारीख 5-7-1996 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश पशु पालन विभाग में कनिष्ठ वेतनमान, आशुलिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पशु पालन विभाग कनिष्ठ वेतनमान, आशुलिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2000 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

1936-राजपत्र/2000—4-10—2000-1744. (3291) मूल्य : 1 रुपया ।

2. उपाबन्ध "अ" का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश पशु पालन विभाग, कनिष्ठ वेतनमान, आशुलिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 के उपाबन्ध "अ" में:—

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

"रुपये 4400-150-5000-160-5800-200-7000."

(ख) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:—

"आशुटंककों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में 31-3-98 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो को शामिल करके पांच वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

1. प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-98 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिये इस शर्त के अधीन रहते हुये गणना में ली जायेगी, कि संभरण वर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-9-98 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में, उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिये अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिये अपात्र समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जायेगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों क अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिये गणना में ली जायेगी, बशर्ते कि सम्भर्ग पद पर तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के अनुसार की गई हो :

परन्तु 31-3-1998 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी"।

(ख) स्तम्भ संख्या 16 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

"उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गये आनुदेशों के अधीन होगी।"

आदेश द्वारा,

एस0 राय,
आयुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English text of Government Notification No. Ahy-A*(3)-9/99, *dated* 15-9-2000 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th September, 2000

No. Ahy-A (3)-9/99.—In exercise of the powers conerred by the proviso to Article 309 of the Constiution of India, the Gove nor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Animal Husbandry Department, Junior Scale Stenographer (Class-III, Non-Gazetted) Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, notified *vide* this Department Notification No. Ahy-A(3)-6/94, dated the 5th July, 1996, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(*i*) These rules shall be called the Himachal Pradesh Animal Husbandry Department (Non-Gazetted) Ministerial Services, Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 1999.

(*ii*) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpata H. P.

2 *Amendment of Annexure "A".*—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Animal Husbandry Department, Junior Scale Stenographer Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 1996 :—

(*a*) For the existing provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:—

"Rs. 4400-150-5000-160-5800-200-7000".

(*b*) For the existing provisions against the Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

"By promotion from amongst the Steno typist who possesses five years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1998) service, if any in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into

account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules, provided that: —

(*i*) in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-1998) followed by regular service/appointment in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be *Ex*-servicemen recruited under the provisions of rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of the seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of *Ex*-servicemen (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion against such post had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment and promotion Rules:

Provided that *inter se*-seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-1998, as referred to above shall remain unchanged.

(*c*) For the existing provisions against Column No. 16, the following shall be substituted, namely:—

"The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time"

By order,

S. ROY,

F. C.-cum-Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित